झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–430 वर्ष 2017

राजेश कुमार गुप्ता, पे0–स्वर्गीय शिव प्रसाद गुप्ता, निवासी–पुटकी बाजार मोड़, डाकघर–कुसुंडा, थाना–पुटकी, जिला–धनबाद .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य
2.. बिहार राज्य

3. महाप्रबंधक (मार्केटिंग), बिहार राज्य दुग्ध सहकारी दुग्ध संघ विभाग (सी0ओ0एम0एफ0ई0डी0), पटना, का कार्यालय डायरी विकास परिसर, डाकघर–बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना, बिहार–800014 में है

4.उप महाप्रबंधक (मार्केटिंग), बिहार राज्य दुग्ध सहकारी दुग्ध संघ विभाग (सी0ओ0एम0एफ0ई0डी0), पटना, का कार्यालय डायरी विकास परिसर, डाकघर–बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना, बिहार–800014 में है

5.प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी दुग्ध संघ विभाग (सी0ओ0एम0एफ0ई0डी0), पटना, का कार्यालय डायरी विकास परिसर, डाकघर–बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना, बिहार–800014 में है

6. मुख्य कार्यपालक, सहकारी दुग्ध संघ विभाग (कॉमफेड), बोकारो डायरी इकाई अनुभाग 12/एफ, बोकारो स्टील सिटी, डाकघर–बोकारो स्टील सिटी, जिला–बोकारो (झारखण्ड)–827012

7. कार्यपालक अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ विभाग (सी0ओ0एम0एफ0ई0डी0), धनबाद, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सन**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री नरेश प्र0 ठाकुर, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– श्री मनोज कु0 नंबर–3, अधिवक्ता

बिहार राज्य के लिए :– श्री एस0पी0 रॉय, अधिवक्ता

04 / दिनांक 12 अप्रैल,2018

याचिकाकर्ता ने दिनांक 01.07.2015 (अनुबंध–3) के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा प्रतिवादी बिहार राज्य दुग्ध सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड ने याचिकाकर्ता के खुदरा विक्रेता लाइसेंस को रद्द कर दिया है।

बिहार राज्य दुग्ध सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड की ओर से उपस्थित श्री सचिन कुमिार ने एक प्रारंभिक मुद्दा उठाया। उन्होनें कहा कि यह रिट एप्लिकेशन बिल्कुल हीं पोषनीय नहीं है क्योंकि उक्त सहकारी फेडेरेशन लिमिटेड भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के अन्तर्गत एक राज्य नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में, वह इस अदालत की पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर निर्भर करते है जो 2008 (1) जे0सी0आर0 13 (झार) (एफ0बी0), हरे राम सिंह आदि बनाम बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, (सी0ओ0एम0एफ0ई0डी0), पटना के मामले को रिपोर्ट किया गया था।

निर्णय के अवलोकन के बाद, मुझे लगता है कि इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने इस मुद्दे का फैसला किया है और यह माना है कि बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (सी0ओ0एम0एफ0ई0डी0), पटना भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के अन्तर्गत एक राज्य नहीं है।

चूंकि उत्तरदाता भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के अन्तर्गत एक राज्य नहीं है, इसलिए यह रिट एप्लिकेशन पोषनीय नहीं है, इसे खारिज कर दिया जाता है।

तद्नुसार यह रिट एप्लिकेशन खारिज किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)